महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक करेंगे धमतरी और गरियाबंद जिले में निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन सड़कों के परीक्षण के लिए माह अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक आएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक सुशील कुमार पण्डित धमतरी एवं गरियाबंद जिले का दौरा करेंगे। उनका मोबाईल नंबर +91-9419186625, और +91-9797490901 है। सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतें उनके मोबाइल नम्बर पर साझा की जा सकती है।

कैनरा बैंक में लाखों के म्युल एकाउंट से लाखों के लेनदेन का खुलासा

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। शहर के कैनरा बैंक की वैशालीनगर ब्रांच में म्युल अकाउंट (फर्जी लेनदेन खातों) से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि कुल 111 खातों में 87.60 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन किया गया है जिससे बैंक और प्रशासन में हडक़ंप मच गया है। बैंक मैनेजर की सतर्कता से 22 लाख रुपए की राशि को फ्रीज कर लिया गया है लेकिन बाकी रकम खातों से विड्रॉ कर ली गई है। इस मामले में कैनरा बैंक प्रबंधन द्वारा वैशालीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है, और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी जैसे अवैध गतिविधियों में किया गया है। खाताधारकों की पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है कि कहीं ये अकाउंट्स फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तो नहीं खोले गए थे। साइबर एक्सपट्र्स और बैंकिंग अफसरों की संयुक्त टीम अब इन खातों से जुड़े लेन-देन और ट्रांजेक्शन ट्रेल की जांच में जुटी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बैंकिंग रेगुलेटर्स और साइबर क्राइम सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है।

सिविल सेवा दिवस की मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश सेवा में समर्पित सभी सिविल सेवकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह दिन न केवल सिविल सेवकों के अमूल्य योगदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में आत्ममंथन और नवचिंतन का भी दिवस है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि प्रशासनिक तंत्र राष्ट्र के विकास पथ का मूल आधार है, और सिविल सेवकों की दक्षता, निष्ठा और दूरदृष्टि ही नीतियों को ज़मीन तक पहुँचाने में सहायक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवक वह कड़ी हैं जो सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता और परिश्रम से ही देश और प्रदेश सुशासन के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने सिविल सेवकों को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी प्रतिबद्धता एवं कर्मठता ही भारत को एक समर्थ, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नींव है।

आईईडी विस्फोट में जवान शहीद

बीजापुर-रायपुर (आरएनएस)। जिला - बीजापुर तोयनार- फरसेगढ़ रोड निर्माण में आरएसओ ड्यूटी में लगे 19/सी सीएएफ के जवान मनोज पुजारी उम्र 26 वर्ष ड्यूटी के दौरान प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए। घटना तोयनार से 4 किमी दूर फरसेगढ़ की ओर जंगल का है। ग्रामीण को लाभान्वित करना कार्यो की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जवान को निशान बनाना माओवादीओं के एक कायरतापूर्ण कृत्य है। क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार जारी है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में सुधार से औद्योगिक विकास को नई दिशा

- औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण की प्रभावी पहल
- श्रमिकों के लिए कारखाना परिसर में ही आवासीय सुविधा का रास्ता खुला

रायपुर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन, जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत नियमितीकरण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए नए संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों, जैसे प्रशासनिक भवन, कैंटीन, या अन्य सुविधाओं के लिए नियमित करने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा सख्त थी, जिसके कारण कई इकाइयों को परिचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस छूट से उद्यमी अपनी इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लचीले ढंग से भूमि का उपयोग कर सकेंगे।

औद्योगिक श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति

संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। यह कदम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होगी।

संशोधन के लाभ

15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण की अनुमति से उद्यमी अपनी इकाइयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकेंगे। इससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा शुरू होने से श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अनुकूल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्यमों के लिए लाभकारी होगा। श्रमिक आवास और औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा।

गौरतलब है कि पहले औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग केवल विशिष्ट औद्योगिक गतिविधियों के लिए करना होता था। गैर-औद्योगिक उपयोग, जैसे कार्यालय भवन या कर्मचारी सुविधाओं के लिए, अनुमति लेना जटिल और समय लेने वाला था। नए नियम के तहत, 15 प्रतिशत भूमि को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के नियमित करने की अनुमति दी गई है। यह उद्यमियों को परिचालन लागत कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, एक इकाई अब इस 15 प्रतिशत भूमि पर कर्मचारी कल्याण केंद्र, प्रशिक्षण सुविधा, या गोदाम बना सकती है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र अक्सर ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों में स्थित हैं, जहां श्रमिकों के लिए आवास की कमी रहती है। इससे श्रमिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसका असर उनकी उत्पादकता पर पड़ता है। संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयां अब अपने परिसर में या आसपास श्रमिकों के लिए आवास बना सकती हैं। यह सुविधा न केवल श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उद्यमियों को भी स्थिर और समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराएगी।

औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा।

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री

- गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक
- गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर दिया बल
- बैठक में बस्तर के विकास और नक्सल उन्मूलन पर भी हुई चर्चा

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।

बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया।

पति ने धारदार हथियार मारकर की पत्नी की हत्या

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। जिले के छुरा थाना क्षेत्र के आवासपारा मोहल्ले में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 35 वर्षीय महिला बिसनी मार्कंडेय की हत्या उसके पूर्व पति गोपी मार्कंडेय ने धारदार हथियार से कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक स्वयं छुरा थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया।थाना प्रभारी दिलिप मेश्राम ने बताया कि आरोपी युवक महासमुंद जिले का रहने वाला है। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों का सामाजिक रूप से तलाक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद गोपी, बिसनी को दोबारा अपने साथ रखना चाहता था। इस बात को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे। मृतका दो बच्चों की मां थी और बच्चों के साथ ही आवासपारा में रह रही थी।स्थानीय लोगों के अनुसार, गोपी पहले भी महिला के घर आता-जाता था और उनके बीच कहा-सुनी होती रहती थी। सोमवार को हुई बहस के बाद आरोपी ने अचानक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही छुरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया।फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

वृद्धा की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, खून से पत्र लिख राष्ट्रपति से लगाई मदद की गुहार

गरियाबंद-रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद से परेशान महिला ओम बाई बघेल ने जब स्याही से लिखी आवेदन से न्याय नहीं मिला तो उसने अपनी खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर पोस्ट किया है. यह मामला छुरा का है. टीबी जैसे गंभीर रोग से जूझ रही 70 वर्षीय ओम बाई ने पत्र में लिखा है कि अपनी पुश्तैनी जमीन में रिवाज के मुताबिक पूर्वजों का मठ (समाधि) बनाया था, जिसे छुरा में रहने वाले संतोष सारडा ने तुड़वा दिया. न केवल पुरखौती जमीन पर काबिज किया बल्कि उसके साथ दुव्र्यवहार भी किया गया. इसकी शिकायत उसने कलेक्टर, एसपी से लेकर जिले के सभी बड़े अफसरों से की थी पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने जुल्म की कहानी खून से लिखकर राष्ट्रपति के नाम स्पीड पोस्ट किया है.आज जिले में नए कलेक्टर भगवान उईके ने तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल से भार ग्रहण किया है. इधर जब भार ग्रहण की प्रकिया चल रही थी उधर ओम बाई ने खून से पत्र लिखा और स्पीड पोस्ट की, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. पीडि़ता को अब नए कलेक्टर भगवान से उम्मीद है.पीडि़ता ओम बाई का एक रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह उसके पुरखों की जमीन पर कब्जा किया गया. कब्जा के दरम्यान पूर्वजों के मठ को तोड़ा गया. इस दरम्यान महिलाओं के साथ बार-बार अपमान जनक व्यवहार किया जाता रहा. इस मामले में प्रशासन की ओर से छुरा तहसीलदार ने दलील दी है कि पिछले तीन साल से चल रहे जमीन विवाद में संतोष सारडा के पक्ष में फैसला आया है. राजस्व अधिनियम के मुताबिक उसे कब्जा दिलाया गया है. कब्जा दिलाकर हम लौट आए थे. हमारी गैर मौजूदगी में पक्षकार ने क्या किया, कैसे मठ को तोड़ा गया, इसकी जानकारी नहीं।

पुलिस ने 33 वाहन चालकों से 9900 रुपए जुर्माना वसूला

बलौदाबाजार-भाटापारा | आरएनएस

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा आपरेशन विश्वासके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त करवाई लगातार जारी है। आज दिनांक 20.04.2025 को दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 33 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर ?9900 समन शुल्क किया गया वसूल। इस वर्ष 2025 में दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले कुल 3071 प्रकरण में ?8,94,300 समन शुल्क किया गया है वसूल। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा आपरेशन विश्वासके तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, सांथ ही जिले में सडक़ दुर्घटनाओ की रोकथाम, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे दिनांक 20.04.2025 को यातायात पुलिस द्वारा सडक़ मार्ग में दो-पहिया वाहन में तीन सवारी, चलने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान में दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 33 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर ?9900 समन शुल्क वसूला गया है। इस वर्ष 2025 में दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले कुल 3071 प्रकरण में ?8,94,300 समन शुल्क वसूल किया गया है। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमो के प्रति जागरूकता एवं यातायात नियमो के पालन हेतु सख़्ती से लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस आम नागरिकों से अपील करती हैं कि आप सभी यातायात के नियमों का पालन करें एवं जिले में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात नियमों का सदैव पालन करें। पुलिस आपकी सेवा एवं सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं।

पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या

मोहला-मानपुर | आरएनएस

मोहला-मानपुर जिले में अपने ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गये एक युवकी की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों हत्या करवा दी। मामले में पुलिस आरोपी पत्नी उसके प्रेमी व एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार मानपुर थानाक्षेत्र के ग्राम उरझे का रहने वाला संजीव मांझी 13 अप्रैल को अपने ससुराल ग्राम बोगाटोला में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसके बाद वह लापता हो गया। परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। मामले की जांच चल ही रही थी कि 17 अप्रैल को संजीव की सड़ी-गली लाश बोगाटोला से लगे बिरझूटोला गांव के झाडिय़ों में छुपी हुई हालत में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव मिलने के बाद मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा जिसपर विवेचना में विभिन्न सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस को चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। पुलिस के मुताबिक, संजीव मांझी की पत्नी का प्रेम संबंध गांव के ही युगल कुंजाम नामक युवक से चल रहा था। जिसके चलते दोनों ने मिलकर संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 13 अप्रैल की रात युगल और उसका साथी धर्मेंद्र, संजीव को शराब पीने के बहाने मोटरसाइकिल से आमाडुला मार्ग स्थित पुल पर ले गए। वहां तीनों ने साथ बैठकर शराब पी,इसी दौरान पत्नी के प्रेम संबंधों को लेकर संजीव और युगल के बीच विवाद हो गया और युगल और धर्मेंद्र ने मिलकर गमछे से संजीव का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास की झाडिय़ों में छिपा दिया। पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी युगल कुंजाम और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने पकड़ा ज्वलनशील पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडारण

रायपुर | आरएनएस

दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग संगठित होकर मंदिर हसौद स्थित ऑयल डिपो इंडियन ऑयल गुजरा, एचपीसीएल0 मंदिर हसौद से निकलने वाले टेंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल) की कटिंग करके अधिक लाभ अर्जित करने की नियत से अपने-अपने अवैध यार्ड मे ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल) को अत्यधिक मात्रा मे संग्रहित करके ड्रमों मे रखे हुए है। मुखबिर की सूचना पर अति0 पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला के हमराह मे चार टीम बनाकर आरोपियों 01 गोलू उर्फ नोहर रात्रे पता मंदिर हसौद 02 अमरेश साव पता एम.एम. कॉलेज के पास उमरिया 03 सुब्रजीत मुदुली 04 दीप्ति रंजन पता राजीव नगर मंदिर हसौद 05 राहुल यादव पता गुजरा फाटक के ठिकानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल 10200 लीटर कीमती 1015000 रूपये, पेट्रोल 7210 लीटर, कीमती 721000 रूपये, एथेनॉल 8000 लीटर कीमती 400000 रूपये (कुल पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल 25410 लीटर जुमला कीमती 2136000/ रूपये) को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क0 152, 153, 154, 155/25 धारा 287 क्वहस्. एवं 3, 7 श्व.ष्ट,रष्ह्व पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियो को गिरफ्तार कर आरोपियों को गिरफ्?तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

जप्त ज्वलनशील पदार्थ का नाम -

01 डीजल 10200 लीटर कीमती 1015000 रूपये

02 पेट्रोल 7210 लीटर कीमती 721000 रूपये

03 एथेनॉल 8000 लीटर कीमती 400000 रूपये

04 मो0सा0 एक नग एवं 03 पिकअप वाहन, 01 ब्राउजर वाहन कीमती 1000000 रूपये

गिरफ्तार आरोपियों का नाम पता -

01 अमरेश साव पिता परदीप साव उम्र 35 वर्ष पता बैकुठ धाम मन्नू मोबाइल के पास भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग हालपता एम0एम0 कॉलेज उमरिया थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर

02 सुब्रजीत मुदुली पिता रमेशचन्द्र उम्र 40 वर्ष पता एफसीआई गेट के सामने राजीव नगर मंदिर हसौद

03 दीप्ति रंजन पिता जटाधारी परेडा उम्र 35 वर्ष पता एफसीआई गेट के सामने राजीव नगर मंदिर हसौद

04 राहुल यादव पिता श्याम बली यादव उम्र 24 वर्ष हालपता गुजरा फाटक थाना मंदिर हसौद

फरार गिरफ्तार आरोपी का नाम पता :

01 गोलू उर्फ नोहर रात्रे पिता स्व0 गणेश रात्रे उम्र 33 वर्ष पता इन्द्रा कॉलोनी मंदिर हसौद।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU